प्रारूप

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, http// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 02/03/2023

अधिसूचना

संख्या-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-49/2022 469 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1788 दिनांक 23.09.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ **सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड अंतर्गत दरौंदा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1976 दिनांक 21.10.2022 द्वारा स्थगित किया गया था।

उक्त के आलोक में **दरौंदा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-1788 दिनांक 23.09.2022 के क्रम में निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	18.03.2023 (शनिवार) एवं 20.03.2023 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	21.03.2023 (मंगलवार) एवं 23.03.2023 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	25.03.2023 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	01.04.2023 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	01.04.2023 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	03.04.2023 (सोमवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **दरौंदा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि॰** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 13.03.2023 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सनिश्चित करेंगे।

3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें भी नामांकन दायर करना होगा। किन्तु उन्हें नामांकन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दायर किया जा सकता है। **मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों में से यदि किन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र दायर किया गया है, तो निर्वाचन पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे।**

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ

ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

6. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 03.04.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

7. अधिसूचना संख्या 1788 दिनांक 23.09.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 469 पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 469 पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सिवान/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), सिवान/ पुलिस अधीक्षक, सिवान/ अपर समाहर्त्ता, सिवान/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), दरौंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सिवान से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), दरौंदा को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 469 पटना/ दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 469 /पटना, दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक : 469 /पटना, दिनांक 02/03/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

2/3/23

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।